

स्पीड पोस्ट

सं. 22-15/2004-अनु.स्था. खंड-3 **5613**

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास एवं

गंगा संरक्षण मंत्रालय

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

भूजल भवन

एन. एच. - 4, फरीदाबाद-121001

दिनांक

07 SEP 2017

सेवा में,

Sh. Deepak Kumar Singh
S/O Late Gusai Singh Dhapola, Ex-Driver (Grade-I)
Village-Devnagar Dhapoli, Post-Ghinhar Tola
Dist- Bageshwar, Uttarakhand-233631.

विषय: बोर्ड में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के संबंध में।

संदर्भ: प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त आपके आवेदन पत्र (PMOPG/D/2017/0360978 dated 02.08.2017)

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि बोर्ड में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु डीओपी&टी के नियमानुसार ग्रुप-C के सीधी भर्ती के कुल खाली पदों के 5% कोटा ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जाती है। आपके नाम पर दूसरी बार संवीक्षा समिति द्वारा दिनांक 11.05.2015 को हुई बैठक में 05 रिक्त पदों के लिए सभी उम्मीदवारों के नामों के साथ विचार किया गया है। लेकिन कम योग्यता (Low Merit) जोकि मंत्रालय के कार्यालय जापन सं. 20/55/2005-Admn. दिनांक 31.01.2011 के द्वारा निर्धारित मैरिट तथा उम्मीदवारों के हिसाब से पर्याप्त रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति देने हेतु आपके नाम की सिफारिश संवीक्षा समिति द्वारा नहीं की गई है। संवीक्षा समिति की बैठक में जिन 05 उम्मीदवारों को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु सिफारिश की गई है, उनके मामले शेष सभी उम्मीदवारों की तुलना में अधिक योग्य पाये गए। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 17-24/2015- अनु. स्था.-5729 दिनांक 29.06.2015 द्वारा आपको सूचित भी किया गया था (प्रतिलिपि संलग्न)।

इसके अतिरिक्त आपको यह भी सूचित किया जाता है कि संवीक्षा समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि शेष उम्मीदवारों के नामों पर संवीक्षा समिति की अगली बैठक में मौजूद नियमों के तहत विचार किया जायेगा। आपका नाम तीसरी बार भी संवीक्षा समिति की बैठक में भेजा जा चुका है संवीक्षा समिति के अनुशंसा व सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद जो भी अनुशंसा होगी उसकी जानकारी आपको फिर से सूचित कर दिया जायगा।

संलग्नक: यधोक्त।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. श्रीमान अवर सचिव (जीडबल्यू ई), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या A. 35012/01/2017-CGWB दिनांक 29.08.2017 के संबंध में सूचनार्थ।
2. श्रीमान System Analyst, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, मुख्यालय, फरीदाबाद से अनुरोध है कि इस पत्र को PMO portal (<http://pgportal.gov.in/ViewStatus.aspx>) पर अपलोड कर दिया जाय।

भवदीय

(Handwritten Signature)

(वी. बी राजगोपालन)

प्रशासनिक अधिकारी

क. 3
रिज. 5/9

(Handwritten Signature)

(वी. बी राजगोपालन)

प्रशासनिक अधिकारी

कॉप्य 6/9

स्पीड पोस्ट

सं. 17-24/2015-अनु.स्था. 5789 126/4

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास एवं

गंगा संरक्षण मंत्रालय

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

भूजल भवन

एन. एच. - 4, फरीदाबाद-121001

सेवा में,

दिनांक

Sh. Deepak Kumar Singh

S/O Late Gusai Singh Dhapola, Ex-Driver (Grade-I)

Village-Musyoli, Post-Ghinghar Tola

Dist- Bageshwar, Uttarakhand-233631

विषय: बोर्ड में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि बोर्ड में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु आपके नाम पर दूसरी बार संवीक्षा समिति द्वारा दिनांक 11.05.2015 को हुई बैठक में 05 रिक्त पदों के लिए सभी उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया है। लेकिन कम योग्यता (Low Merit) जोकि कार्यालय ज्ञापन सं. 20/55/2005-Admn. दिनांक 31.01.2011 के द्वारा निर्धारित मैरिट तथा उम्मीदवारों के हिसाब से पर्याप्त रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति देने हेतु आपके नाम की सिफारिश संवीक्षा समिति द्वारा नहीं की गई है। संवीक्षा समिति की बैठक में जिन 05 उम्मीदवारों को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु सिफारिश की गई है, उनके मामले शेष सभी उम्मीदवारों की तुलना में अधिक योग्य पाये गए।

इसके अतिरिक्त आपको यह भी सूचित किया जाता है कि संवीक्षा समिति ने यह भी सिफारिश की है कि शेष उम्मीदवारों के नामों पर संवीक्षा समिति की अगली बैठक में मौजूद नियमों के तहत विचार किया जायेगा।

भवदीय,

स. रा. चौहान
(एस. आर. चौहान)

प्रशासनिक अधिकारी

17/06/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. कार्यपालक अभियंता, के. भू. जल बोर्ड, प्रभाग 16, बरैली।
2. निदेशक (प्रशासन) के. भू. जल बोर्ड, फरीदाबाद के वैयक्तिक सहायक।

स. रा. चौहान
(एस. आर. चौहान)

प्रशासनिक अधिकारी

17/06/15